फर्द अहकाम

कैलाश बनाम रामकिशोर

...संख्या 07/2019 काजदारी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/3/20	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/4/20 को पेश हो।	
	24.04.20	Corona प्रसाइडिंग ऑफीसर ~~दौरे / अवकाश~~ पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/05/20 को पेश हो।	
	27/05/20	Corona प्रसाइडिंग ऑफीसर ~~दौरे / अवकाश~~ पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/06/20 को पेश हो।	
	25/06/20	Corona प्रसाइडिंग ऑफीसर / दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/7/20 को पेश हो।	
	27/7/20	Corona प्रसाइडिंग ऑफीसर / दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 1/9/20 को पेश हो।	
	01/9/20	दि० 1/9/20 का ... से आज पेश) प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06/10/20 को पेश हो।	
	06/10/20	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 10/11/20 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.01 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

|20

प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/~~अवकाश~~
पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 27/11/20
को पेश हो

27.11.20

प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश
पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 15/12/20
को पेश हो।

15/12/20 व.क. उप0/बहस सुनी गई/पत्रावली वास्ते अवलोकन/आदेश दिनांक 18/12/20 को पेश हो/

18/12/20 व.क. उप0/पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रा0 पत्र आज्ञायरी का स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रखे।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.01 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

वाद संख्या :–07/2019

उनवान

1. कैलाश पुत्र स्व0 रामनिवास
2. मुकेश पुत्र स्व0 रामनिवास
3. शंकर पुत्र स्व0 रामनिवास
4. नाथी पत्नि स्व0 रामनिवास
5. कान्ता पुत्री स्व0 रामनिवास
6. चन्द्रा पुत्री स्व0 रामनिवास
7. पप्पी पुत्री स्व0 रामनिवास
8. प्रियंका पुत्री स्व0 रामनिवास
9. रामप्यारी पुत्री स्व0 रामनिवास
10. सीता पुत्री स्व0 रामनिवास
11. मुरलीधर पुत्र कानाराम
12. प्रभातीलाल पुत्र कानाराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ढ़ाणी नन्दूडी वाली, तन बरवाड़ा, हाल ग्राम फतेहगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र मुरलीधर
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मपत्नि मुरलीधर

समस्त जाति अहीर, निवासी ढ़ाणी नन्दूड़ी वाली, तन बरवाड़ा, हाल ग्राम फतेहगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

(वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत रेस्टोरेशन

आदेश

दिनांकः–18.12.2020

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 [illegible] या है कि न्यायालय हाजा में लम्बित प्रकरण सं0 34/347/99 [illegible] बनाम कानाराम जो वाद विनिमय कृषि भूमि के संबंध [illegible] वास्ते तलबी हेतु नियत था, जिसमें तारीख [illegible] कैम्प कोर्ट ग्राम अमरपुरा में पत्रावली प्रस्तुत हुई, जिसमें प्रार्थी/वादी सं0 2 ही उपस्थित हुआ व अन्य वादीगण जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 को कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही वादी सं0 3 उपस्थित रहा है तथा केवल मात्र वादी सं0 2 मुरलीधर से ही आदेशिका पर यह तथ्य अंकित करवाया गया कि वादी सं0 2 वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.01 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

पश्चात् वाद अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 29.06.2018 अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत कर दी गई। उक्त उनवानी वाद पत्रावली में दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई और दिनांक 29.06.2018 को वादीगण स्वयं व उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के आधार पर वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रस्तुत वाद पत्र में वादी सं0 2 के अतिरिक्त वादी सं0 1 रामनिवास व वादी सं0 3 प्रभातीलाल भी बतौर वादी पक्षकार हैं, जिनमें रामनिवास की मृत्यु होने पर रामनिवास के विधिक वारिसान प्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 हैं, इनको किसी प्रकार की जानकारी दिये बिना व राजस्व कैम्प में उपस्थिति संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और वादी सं0 2 द्वारा केवल अपने स्तर पर ही दिनांक 28.06.2018 को प्रार्थीगण सं0 1 ता 10 के पिता रामनिवास की सूचना देते हुए वाद को आगे नहीं चलाने के संबंध में अंकित किया जबकि कानूनन केवल एक वादी द्वारा ही वाद पत्र को विड्रा या खारिज नहीं करवाया जा सकता है, ना ही इस संबंध में अन्य वादीगणों को सूचित किया गया तथा दूसरे दिन की तारीख पेशी दिनांक 29.06.2018 नियत करते हुए वादीगण की अनुपस्थिति में वादीगण का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.03.2019 को होने पर उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश है, जिसे पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। उक्त प्रकरण अचल सम्पत्ति कृषि भूमि से संबंधित होने व खातेदारों के हक अधिकारों से संबंधित होने व पूर्व में राजस्व अपील अधिकारी के यहां से पुनः सुनवाई रिमाण्ड होने से विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण/वादीगण के साम्पत्तिक हक अधिकार निहित हैं। उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने से पक्षकारों के अधिकारों का पक्षकारों की साक्ष्य व गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 29.06.2018 को की गई कार्यवाही को मन्सूख किया जाकर वादीगण का वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण में वादी सं0 1 रामनिवास की मृत्यु हो गई, किन्तु वादी सं0 2 या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र 22/3 पेश नहीं किया गया व वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि वादी रामनिवास के विधिक वारिसान को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया। न्यायहित में प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय अभिमत में प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.12.2020 [illegible]ारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प[illegible]र से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.01 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner